

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर

e-mail id- sjeajmer@yahoo.com

क्रमांक- /स्टोर/कय/पानी की टंकी/2022-23/2326

दिनांक:- 9/3/2023

खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रण सूचना वर्ष 2022-23

(मय विस्तृत बोली विवरण)

(पानी की टंकी 1000 लीटर कय हेतु)

राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर के अधीन संचालित विभिन्न वर्गों के राजकीय छात्रावासों के उपयोगार्थ निम्न लिखित पानी की टंकी 1000 लीटर आपूर्ति हेतु राजस्थान में स्थित पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, अधिकृत विक्रेताओं, होलसेल विक्रेताओं व पलम्बर व्यवसाय से सम्बद्धित व्यवसायियों से ऑफलाईन द्विप्रकर्म बोली आमंत्रित की जाती हैं-

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (रु. में)	बोली फॉर्म का शुल्क (रु. में)	फॉर्म प्राप्त करने की दिनांक व समय	फॉर्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक एवं समय
1	राजकीय छात्रावासों हेतु पानी की टंकी 1000 लीटर कय करने हेतु	3.00 लाख	6000/-	200/-	09.03.2023 सायं 6 बजे से	16.03.2023 सायं 4.00 बजे तक	16.03.2023 सायं 5 बजे

नोट :-

(1) बोली विज्ञप्ति, सूचना जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in एवं www.sje.rajasthan.gov.in पर भी देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है। या कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कि जा सकती है।

(2) क्रय में RTPP Act 2012 एवं Rules 2013 तथा GF&AR व राज्य सरकार के आदेश/नोटिफिकेशन लागू होंगे।

sd

उप निदेशक

दिनांक:- 9/3/2023

क्रमांक-प.2/स्टोर/कय/पानी की टंकी/2022-23/2327-31

- निदेशक महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- जिला कलक्टर महोदय, अजमेर।
- अति० निदेशक(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), सान्याअवि राजस्थान जयपुर।
- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग निदेशालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि कृपया अपनी वेबसाईट र अपलोड कराते हुए एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशित करावें।
- नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट, सम्भागीय आयुक्त कार्यालय, कार्यालय हाजा।

उप निदेशक

कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर

बोली विज्ञापित वर्ष 2022-23 सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनायें/नियम

(पानी की टंकी 1000 लीटर क्य हेतु)

- 1: बोलियाँ प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक **16-03-2023** को सायं 4.00 बजे तक होगी। (बोली के 2 लिफाफे (1) तकनीकी बिड एवं (2) वित्तीय बिड के होंगे)
01. तकनीकी बिड दिनांक **16.03.2023** को सायं 5.00 बजे कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर में खोली जावेगी। यदि किसी कारण से समस्त बोलियाँ नहीं खोली जा सकी, तो आगामी कार्य दिवस में बोलियाँ खोली जाने का कार्य जारी रहेगा।
02. तकनीकी बिड के प्रथम लिफाफे में निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की अनिवार्यतः पूर्ति करें :-
बोली घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013 के अनुसार वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 के अनुसार Annexures 'ABCD' में भी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (5) वित्त/सा.वि.ले.नि./2018 जयपुर, दिनांक 27.04.2020 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार ई-ग्रास पर ऑफलाईल टेण्डर हेतु एक ही चालान से बिडर द्वारा ई-ग्रास पर प्रोफाइल बनाने के बाद बोली दस्तावेज मूल्य, बोली प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। (चालान की प्रति जमा करानी होगी।)
- (i) बोली दस्तावेज मूल्य राजस्व मद 0075-00-800-52-01 में जमा करानी होगी।
(ii) बोली प्रतिभूति राशि बजट मद 8443-103 (सिविल विभाग हेतु) में जमा करानी होगी।
(iii) 100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित (संलग्नक-अ) प्रति कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर को भौतिक रूप से दिनांक **16.03.2023** को शाम 4.00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिये। यदि डाक देरी से प्राप्त होती है, तो इसके लिए विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही देरी से प्राप्त निविदा को विभाग स्वीकार करेगा।
(iv) निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रु 200(बोली दस्तावेज मूल्य)। उक्त वर्णित बजट मद मे जरिए चालान जमा करवा कर तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. बोली प्रतिभूति राशि:-
बोली प्रतिभूति राशि रु. 6000/-ई-चालान के माध्यम से बजट मद 8443-103 (सिविल विभाग हेतु) में जमा करानी होगी एवं चालान की प्रति उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर को भौतिक रूप से दिनांक **16.03.2023** को शाम 4.00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिये।
4. बोलीदाता को राजस्थान में पंजीकृत सूक्ष्म उद्योग एवं लघु उद्योग इकाईयों को सक्षम स्तर से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी(यदि वह है)। तत्पश्चात ही उन्हें एम.एस.एम.ई. हेतु आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियम 33 के अन्तर्गत वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के लाभ देय होंगे। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के आदेश एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश लागू होंगे। अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 में फॉर्म बी 100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से प्रमाणित कर तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। (फॉर्म बी का प्रारूप संलग्न है)
- (i) राजस्थान में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की दशा में उन्हें पंजीयन का प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होगी(यदि फर्म लघू एवं सूक्ष्म उद्योग हो तो)।
(ii) अधिकृत विक्रेता होने की दशा में अधिकृत प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होगी।
(iii) थोक विक्रेता होने की दशा में संबंधित साक्ष्य की प्रति उपलब्ध करानी होगी।
(iv) जी.एस.टी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं नवीनतम जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति जमा करानी होगी।
(v) बोली में बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं, तो हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में पावर आफ एटोर्नी की 500 रु के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रति अथवा नियमानुसार दस्तावेज जमा कराने होंगे।
(vi) पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति जमा करानी होगी।
(vii) "बोली प्रपत्र, नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ को पूर्ण रूप से पढ लिया है एवं समझ लिया है।" इस आशय की पुष्टि हेतु बोली प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर जमा कराने होंगे।
(viii) आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के लिए यदि किसी प्रकार के विधिक लाइसेन्स की आवश्यक हो, तो उसकी प्रतियां एवं अन्य विधिक स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो बोलीदाता को उक्त लाइसेन्स एवं स्वीकृति अपने स्तर से प्राप्त की जाकर जमा करना होगा।



- (ix) यदि बोलियाँ, राजस्थान में स्थित पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के द्वारा ही दी जाती है तो इस आशय का घोषणा पत्र एस.आर.11 में हस्ताक्षर कर प्रति जमा करानी होगी।
- (x) बोलीदाता न्यूनतम विगत दो वर्षों से दी गई बोली से संबंधित मद में व्यापार करता हो इस आशय का स्व-घोषणा पत्र की प्रति जमा करानी होगी।
- (xi) बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार या उनके उपक्रम द्वारा ब्लैक लिस्ट/डिबार नहीं किये जाने का स्व-घोषणा पत्र (संलग्नक-अ)।
- (xii) बोलीदाता को गत दो वर्षों का टर्नओवर व कार्यादेशों की प्रति नियम एवं शर्तों के अनुसार जमा करानी होगी।
- (xiii) तकनीकी बिड के साथ पानी की टंकी 1000 लीटर के कंटेनर, फोटो एवं मॉडल नम्बर, लिटरेचर जमा कराने होंगे।
- (xiv) बोलीदाता को इस आशय का घोषणा पत्र जमा करना होगा कि आपूर्ति किया जाने वाला विद्युत उपकरण एक वर्ष अथवा इससे अधिक पूर्व के निर्मित नहीं है।
5. **वित्तीय बिड**:- वित्तीय बिड (बोली दर) के द्वितीय लिफाफे में प्रत्येक आईटम की दर प्रति यूनिट में अंकित की जावेगी। जी.एस.टी. को पृथक से दर्शाया जावे तथा अन्य समस्त कर/व्यय को प्रति यूनिट की दर में शामिल किया जावे। उपरोक्तानुसार तकनीकी एवं वित्तीय बिड के अलग-अलग लिफाफे हैं।
6. बोलीदाता बोली में अंकित पानी की टंकी 1000 लीटर की उल्लेखित मात्रा के अनुसार सम्पूर्ण आपूर्ति करने हेतु बाध्य रहेगा।
- (1) आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में पानी की टंकी 1000 लीटर स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं होने पर अस्वीकृत सामग्री को लिखित में सूचित करने की दिनांक (पत्र जारी दिनांक) से 03 दिवस में आपूर्ति कर्ता फर्म के द्वारा बदल कर देना होगा।
- (2) पानी की टंकी 1000 लीटर निर्धारित स्पेसिफिकेशनके अनुसार आपूर्ति करने में आपूर्तिकर्ता असफल रहता है तो आपूर्ति अस्वीकार मानी जायेगी एवं बोली के नियम व शर्तों के अनुसार सामग्री राशि के मूल्य के परिनिर्धारित क्षति-पूर्ति (Liquidated damages) आरोपित की जाकर नियमानुसार वसूली की जावेगी।
- (3) पानी की टंकी 1000 लीटर प्रतिष्ठित ब्रांड व मैक का होना अनिवार्य है तथा कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही गारंटी एवं वारंटी प्रदान करनी होगी।
7. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश , राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 व अधिनियम 2012 के प्रावधान पूर्णतः लागू होंगे।
8. बोलीदाता द्वारा कोई भी मिथ्या जानकारी दिये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
9. बोली की समस्त प्रक्रिया ऑफलाईन होगी।
10. कार्यालय द्वारा ई-मेल से दी गई / प्राप्त की गई सूचना भी मान्य होगी।
11. वित्तीय बोली खोले जाने की सूचना तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं को ई-मेल के माध्यम से दी जावेगी।
12. निविदत्त दरों की वैधता बोली खोले जाने की दिनांक से 90 दिवस तक अनुमोदन हेतु मान्य होंगी।
13. बोली हेतु बोलीदाता हेतु निर्देश एवं नियम :-
- (i) ऑफ लाईन बोलियाँ निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेगी।
- (ii) बोली प्रपत्रों के अनुसार चाहे गये आवश्यक दस्तावेज एवं सूचियों को चाहे अनुसार पूर्ति कर कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर में जमा कराने होंगे।
- (iii) समस्त आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही करें।
- (iv) बोली एवं बोली के किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपापन समिति विभाग/ सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित/आरक्षित होगा।
- (v) बोली प्रपत्र के परिशिष्ट 1 में अंकित सामग्री की मात्रा 50 प्रतिशत तक बढ़ाई अथवा विभागीय आवश्यकतानुसार किसी भी सीमा तक घटाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में दरों की गणना आनुपातिक रूप से की जावेगी।
14. उक्त वर्णित विधि एवं शर्तों की पालना के अभाव में बोली को स्वीकार करने या न करने का अधिकार विभाग को होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
पूरा नाम पता :-
अधिकृत प्रतिनिधी/स्वयं प्रोप्राईटर
(जो लागू नहीं हो काट दे)


उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर

तकनीकी बोली के दस्तावेज निम्नांकित प्रपत्रानुसार भरकर प्रस्तुत करावे:-

कस	विवरण	हाँ/नहीं	पेज नम्बर
1.	आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अनुसार ए.बी.सी.डी, एनेक्सर		
2.	बोली दस्तावेज शुल्क रु. 200/-ई चालान		
3.	राशि रु. 100/-के स्टाम्प पर शपथ पत्र (संलग्नक - अ)		
4.	बोली प्रतिभूति राशि 6000/- का ई-चालान		
5.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बिक्रीकर/वैट पंजीयन प्रमाण पत्र/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकृत प्रमाण पत्र एम.एस.एम.ई		
6.	राजस्थान में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के तहत पंजीयन का प्रमाण पत्र (यदि निविदा फर्म सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हो तो)		
7.	अधिकृत विक्रेता/थोक विक्रेता होने की दशा में अधिकृत पत्र संबंधित कम्पनी का अधिकृत पत्र/थोक विक्रेता होने का प्रमाण		
8.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जी.एस.टी. पंजीयन		
9.	नवीनतम जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति		
10.	बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हस्ताक्षर करने पर विधिक पावर आफ एटॉर्नी की प्रति (500 रु के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)		
11.	आयकर पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति		
12.	बोली प्रपत्र, नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है एवं समझ लिया है।" इस आशय की पुष्टि हेतु बोली प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर जमा कराने होंगे।		
13.	विधिक लाईसेन्स की प्रति (यदि आवश्यक हो)		
14.	एस.आर.-11 के अनुसार घोषणा पत्र(सूक्ष्म एवं लघु उद्यम होने की दशा में)		
15.	(2 वर्ष) अनुभव का स्व-घोषणा पत्र		
16.	विगत दो वर्षों में संबंधित सामग्री 5.00 लाख का औसत वार्षिक टर्न ओवर। इस हेतु सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।		
17.	2020-21 2021-22		
18.	कार्यादेशों (राशि रु. 3.00 लाख के न्यूनतम तीन अथवा निविदा राशि तक का कार्यादेश) की प्रति		
19.	तकनीकी बिड के साथ पानी की टंकी 1000 लीटर के केटलॉग, फोटो एवं मॉडल नम्बर, लिटेरचर व तकनीकी डाटा		
20.	बोलीदाता को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपूर्ति किया जाने वाला पानी की टंकी 1000 लीटर एक वर्ष अथवा इससे अधिक पूर्व के निर्मित नहीं है।		

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर
बोली विज्ञप्ति वर्ष 2022-23
तकनिकी बोली प्रपत्र (पानी की टंकी 1000 लीटर कय हेतु)

1. बोलीदाता की फर्म का पूरा नाम व पता.....
2. फोन नं./मोबाईल नं. व ई-मेल आई डी.....
3. बोली सम्बोधित है :- कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर । टेलिफोन नं0 एवं ईमेल आडी 0145- 4008829/ sjeajmer@yahoo.com
4. (1) बोली शुल्क राशि रू. 200/- ई-चालान GRN
भुगतान विवरण - बैंक का नाम..... बैंक CIN नंबर
दिनांक
- (2) बोली प्रतिभूति राशि रू. 6000- ई-चालान GRN.....
भुगतान विवरण - बैंक का नाम..... बैंक CIN नंबर
दिनांक

मैं/हमउपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की गई बोली सूचना क्रमांक दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बोली सूचना के अतिरिक्त बोली प्रपत्र में अंकित सभी नियम व शर्तों को स्वीकार करने व जारी किये गये संशोधित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं)

5. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण बोली प्रपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 में है, उनकी मात्रा को भलीभांति देख लिया है, कुल सामग्री आपूर्ति को ध्यान में लेने के बाद वित्तीय दरें ऑफलाईन अंकित की गई है।
6. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से बोली नियम, शर्तों एवं आदेशों के अनुसार निर्धारित अवधि 07 दिवस के भीतर माल की सुपुर्दगी कर दी जावेगी।
7. अनुमोदित दरें, अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
8. बोली शर्तों पर हस्ताक्षर किये जाकर, अन्य वांछित आवश्यक लाईसेंस व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है।
9. (1) फर्म का टर्नओवर/सी.ए.ऑडिट रिपोर्ट तथा भागीदारों आदि का पूर्ण विवरण:-
 1. फर्म कभी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/अन्य संस्थान द्वारा काली/विवर्जित सूची में नहीं रखी गई है। (यदि हो तो पूर्ण विवरण अंकित करें)।
 2. फर्म की गत दो वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर निम्नानुसार संलग्न है-

क्र.सं.	वर्ष	टर्नओवर
1.	2019-20(2021-22 का अंकेक्षण नहीं होने की स्थिति में)	
2.	2020-21	
3.	2021-22	

औसत



2. फर्म के निम्न भागीदार हैं :-

क्र.सं.	नाम	विवरण	पता	फोन नम्बर
.....

3. फर्म प्राइवेट/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड या संस्था है ।

4. फर्म के मालिक/निदेशक/सचिव/प्रबन्धक आदि का विवरण:-

क्र.सं.	नाम व पद	पता	फोन नम्बर
---------	----------	-----	-----------

10. मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने जिन वस्तुओं/भण्डार/विद्युत् उपकरण हेतु बोली दी है उनके मान्य मूल निर्माता/डिस्ट्रीब्यूटर/अधिकृत विक्रेता/सूक्ष्म एवं लघु उद्योग ईकाई है। (जो लागू हो उसे चिन्हित करें) अगर यह घोषणा असत्य पायी जाती है तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी पूर्ण बोली/ सुरक्षा राशि जब्त की जावे एवं बोली जो स्वीकृत की गई, रद्द की जावे। साथ ही विभाग विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

पूरा नाम पता :-

अधिकृत प्रतिनिधी/स्वयं प्रोप्राईटर
(जो लागू नहीं हो काट दे)



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर
बोली विज्ञप्ति वर्ष 2022-23 की नियम एवं शर्तें
(पानी की टंकी 1000 लीटर कय हेतु)

- (1) **बोली प्रपत्र की जानकारी :-** ऑफलाईन बोली प्रपत्र पानी की टंकी 1000 लीटर केवल राजस्थान में स्थित पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों/अधिकृत विक्रेता/थोक विक्रेता/पानी की टंकी 1000 लीटर व्यवसाय से संबंध व्यवहारियों से कय करने बाबत ।
- (2) **कय की जाने वाली वस्तु का विवरण**
कय की जाने वाली वस्तुओं के विवरण संबंधित बोली प्रपत्र में दर्शाये गये हैं। बोली प्रपत्र में दर्शाये विवरण को ही आधार मानकर बोलीदाता को एक ही दर अंकित करनी चाहिये। **परिशिष्ट - 1** में अंकित सामग्री एवं मात्रा कय आदेश जारी होने की दिनांक से **07 दिवस** में आपूर्ति करनी होगी।
- (3) **कय हेतु सक्षम अधिकारी:-**
क्रय समिति द्वारा स्वीकृत दरों पर बोली प्रपत्र में अंकित सामग्री के लिये कय आदेश जारी करने हेतु उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राधिकृत होंगे।
- (4) **वित्तीय दरें :-**

सामग्री का प्रदाय बोली में अंकित छात्रावासों में F.O.R. करना होगा। F.O.R. तक सामग्री में हुई किसी भी प्रकार की क्षति/टूट-फूट की समस्त जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। अतः बोलीदाता प्रत्येक आईटम की दर प्रति यूनिट में अंकित की जावेगी। जी.एस.टी. को पृथक से दर्शाया जावे तथा अन्य समस्त कर/व्यय को प्रति यूनिट की दर में शामिल किया जावे।

नोट:-

- (1) दरें बिना GST कर के, अंकित की जावे एवं नियमानुसार लागू सभी प्रकार के करों जैसे RGST/IGST/CGST/अन्य कर की राशि निर्धारित कॉलम में अलग-अलग दर्शाई जावे।
- (2) कय अधिकारी द्वारा बोली में अंकित स्थानों में माल पहुँचाने का समस्त खर्चा बोलीदाता को वहन करना होगा।
- (3) माल पहुँचाने का एवं उतरवाने व संबंधित को जाँच कराकर सुपुर्द कराने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।
- (4) बोलीदाता आवश्यक रूप से मूल दर व उस पर कर का पृथक पृथक कॉलम में अंकन करेगा। यदि बोलीदाता वित्तीय बिड में ऑफलाईन दरों के साथ किसी प्रकार के कर का निर्धारित कॉलम में अंकन नहीं करता है तो दरें कर सहित मानी जावेगी। कर अंकित नहीं करने के पक्ष में उचित परिपत्र/आदेश तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें। वित्तीय दर बिड में कर राशि निर्धारित कॉलम में अलग से अंकित करने पर राज्य /केन्द्र सरकार की तत्समय लागू कर दर से नियमानुसार कर राशि देय होगी। परन्तु कर राशि का पृथक से अंकन नहीं करने पर फर्म को कर राशि देय नहीं होगी वे स्वयं फर्म को वहन करनी होगी।
- (5) वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन RTPP Rule 2013 के नियम 65 के प्रावधान के अनुसार होगा।
- (5) **बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरों की वैधता:-**
बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरों पर कार्यदेश जारी होने के 02 दिवस में अनुबंध करने को बाध्य होगा। वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक निर्णय हेतु वैध होगी एवं बोलीदाता बोली में दी गई दरों पर अनुबंध करने को बाध्य होगा। अन्यथा बोली शर्त संख्या 19 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। अनुबंध हो जाने के पश्चात स्वीकृत दरों की वैधता **शर्त संख्या 7** से नियंत्रित होगी।
- (6) **अनुभव:-** बोलीदाता फर्म को गत 4 वर्ष में राजकीय विभागों में पानी की टंकी 1000 लीटर सप्लाई के निम्नानुसार कार्यदेशों व संतोषप्रद सप्लाई का स्व:-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा:-
निविदा में अंकित संबंधित समकक्ष उपकरण सप्लाई 1.50 लाख के न्यूनतम दो अथवा निविदा राशि तक का कार्यदेश की प्रति
- (7) **संविदा की अवधि :-**
अनुमोदित/स्वीकृत दरों की वैधता अवधि अनुबंध की दिनांक से छः माह तक होगी। आगामी नई बोली होने पर उसकी दरें अनुमोदित होने की दिनांक तक पूर्व स्वीकृत दरों पर आपूर्ति करने के लिए बोलीदाता



(7) संविदा की अवधि :-

अनुमोदित/स्वीकृत दरों की वैद्यता अवधि अनुबंध की दिनांक से छः माह तक होगी। आगामी नई बोली होने पर उसकी दरें अनुमोदित होने की दिनांक तक पूर्व स्वीकृत दरों पर आपूर्ति करने के लिए बोलीदाता बाध्य होगा तथा विभागीय क्रय समितिके अनुमोदन पर कय अधिकारी एवं बोलीदाता के आपसी सहमति पर अनुबंध अवधि तीन माह के लिए उन्हीं दरों एवं शर्तों पर बढ़ाई जा सकती है।

(8) बोली के साथ बोली विज्ञप्ति के अनुसार जमा करायी गयी राशि का ई-चालान 100रु का शपथ पत्र जमा कराना होगा:-

उपरोक्त दोनों राशि के जमा ई-चालान की प्रति एवं 100 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र पर (संलग्नक) तकनिकी बोली के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

नोट:-

1. विभाग में किसी बोलीदाता की पूर्व में जमा बोली प्रतिभूति राशि/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस बोली की बोली प्रतिभूति राशि हेतु समायोजित नहीं किया जावेगा।
2. जो फर्म, निदेशक उद्योग विभाग राजस्थान द्वारा बोली में पानी की टंकी 1000 लीटर हेतु लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत है, सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उस को बोली प्रतिभूति राशि प्रभावी दरों से जमा करवानी होगी। लेकिन उन्हे अपने स्थाई पंजीकरण की एवं क्षमता प्रमाण -पत्र की प्रमाणित प्रति बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा। साथ ही भौतिक रूप से भी उपरोक्त राशि के ई-चालान के साथ निर्धारित समय तक कार्यालय में प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
3. राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के उपक्रम को बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने से छूट है परन्तु नियमानुसार इन उपक्रमों को बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र एवं राजकीय उपक्रम होने का प्रमाण पत्र तकनिकी बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा।

9. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण:- बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरण (जब्त) कर लिया जायेगा:-

- (i) जब बोली लगाने वाले बोली के खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत या उपन्तरित करता है।
- (ii) जब बोली लगाने वाला प्रदाय / संकर्म आदेश देने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
- (iii) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय /संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
- (iv) जब बोली लगाने वाला प्रदाय / संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्यसम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- (v) जब बोली लगाने वाला अधिनियम ओर इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वाले के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

(10) निर्धारित विवरण , स्पेसिफिकेशनके अनुसार ही सामग्री की आपूर्ति करना :- बोली प्रपत्र परिशिष्ट- 1 में उल्लेखित पानी की टंकी 1000 लीटर उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर के अधीन राजकीय छात्रावासों पर F.O.R आपूर्ति करनी होगी एवं आपूर्ति की गई सामग्री विनिर्दिष्ट स्पेसिफिकेशन के अनुसार करनी होगी।

(11) स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतान:-

(i) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय, अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो, तो यह माल प्रेषित करने के सबूत पर (यथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा) वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किये जाने पर दिया जायेगा। अवशेष राशि का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा बोलीदाता को भुगतान नहीं किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र निरीक्षण के समय पृष्ठांकित किये जाने पर दिया जायेगा।



(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जायेंगे।

(iii) आपूर्त सामग्री के बिल कार्यालय द्वारा निर्देशानुसार पृथक-पृथक मदवार तैयार कर प्रस्तुत करने होंगे। विवादास्पद मदों के संबंध में देय राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

(iv) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

(12) **बोलीदाता द्वारा बोली किसी अन्य एजेन्सी को न देना:-**

बोलीदाता बोली किसी अन्य एजेन्सी को न तो Sublet करेगा और न ही अन्य एजेन्सी से सामग्री कि सप्लाई करवाएगा।

(13) **समानान्तर बोली:-**

विभाग के पास समानान्तर बोली तय करने का अधिकार सुरक्षित रहेंगा।

(14) **क़य की मात्रा:-**

(अ) क़य की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा जो बोली में दर्शाई गई है, वह वर्तमान आवश्यकता के अनुसार है, जो केवल अनुमानित है। न्यूनतम क़य की कोई सीमा नहीं होगी। क़यादेश विभाग की आवश्यकतानुसार दिये जायेंगे। क़य समितिकी सिफारिश पर बोली में अंकित मात्रा से 50 प्रतिशत की सीमा तक के लिए क़य आदेश बढ़ाया जा सकता है।

(ब) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं बोलीदत्त वस्तुओं की कोई खरीद नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा खरीदता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

(15) **सामान सप्लाई की अवधि:-**

बोलीदाता को आपूर्ति सूची में बताये अधीनस्थ छात्रावासों हेतु क़यादेश जारी दिनांक से 07 दिन में संबंधित छात्रावास पर करनी होगी। 07 वें दिन राजकीय अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस के दोपहर 5.00 बजे तक आपूर्ति स्वीकार्य हो सकेगी। क़य आदेश जारी दिनांक प्रथम दिवस माना जायेगा, विशेष परिस्थिति में आपूर्ति अवधि 07 दिवस को पारस्परिक सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।

यदि निर्धारित समय में बोलीदाता सामग्री सप्लाई करने में असमर्थ रहता है, तो निम्नांकित दर से जितनी अवधि का विलम्ब हुआ है "सम्पूर्ण क़यादेश की(कर सहित) कीमत के आधार पर" परिनिर्धारित क्षति पूर्ति के रूप में (न कि दण्ड के रूप में) राशि वसूल की जावेगी।

(क)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 भाग की देरी पर	2.5 प्रतिशत
(ख)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 भाग की अवधि तक देरी पर	5 प्रतिशत
(ग)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/2 भाग से अधिक लेकिन 3/4 भाग की अवधि तक की देरी पर	7.5 प्रतिशत
(घ)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 3/4 भाग से अधिक लेकिन कुल अवधि के बराबर की अवधि तक की देरी पर	10 प्रतिशत

सामान्यतः क़यादेश जारी करने की दिनांक से 07 दिन के पश्चात माल स्वीकार नहीं किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि प्रदायकर्ता उचित बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समयवृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में प्रदाय अवधि समाप्ति से पूर्व उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह इसके लिए निवेदन, बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त उसी समय करेगा। यदि माल का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा, बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई है, तो सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति पूर्ति सहित या रहित भी की

(16) आदेशित आपूर्ति के अभाव में बोलीदाता की जोखिम एवं लागत पर क्य करना :-

1. बोलीदाता कयादेश की आपूर्ति निर्धारित अवधि में या शर्त संख्या 15 के अध्याधीन बढी हुई अवधि में करने में असफल रहता है, तो ऐसी असफल आपूर्ति के लिए आदेश जारी कर्ता अधिकारी को यह मानने का पर्याप्त कारण होगा कि बोलीदाता समस्त आईटम की आपूर्ति में असफल रहा है, तथा सुरक्षा राशि जब्त करने/10 प्रतिशत परिनिर्धारित क्षति पूर्ति आरोपित करने के आदेश दे सकेगा।
2. आपात स्थिति में अपवाद स्वरूप विभाग/केता अधिकारी के पास यह विकल्प सुरक्षित है कि वह पानी की टंकी 1000 लीटर बोलीदाता की जोखिम व लागत पर क्य समिति के माध्यम से क्य कर सकेंगे। जो बोलीदाता को मान्य होगी। इस बिन्दु पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार नहीं होगा।

(17) प्राईस फॉल क्लोज:- यदि अनुबंध अवधि में बोलीदाता राज्य सरकार की अन्य किसी भी बोली में अनुमोदित दरों को कम करता है अथवा अनुबन्ध अवधि के दौरान उसी प्रकार के माल को कम दर पर अन्य किसी को बेचता है तो उसे सदस्य सचिव, त्रय समिति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर को इस प्रकार की दरों में कमी एवं कम दरों पर बेचे गये माल की सूचना देनी होगी तथा जिस दिनांक से दरों में कमी की गई है, उसी दिनांक से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दिये गये सामान की कीमत भी कम दर से लगानी होगी। अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य किसी को माल नहीं बेचने का प्रमाण-पत्र बोलीदाताओं को बिल में अंकित करना होगा।

बोली अवधि में या उसके बाद भी यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि बोलीदाता द्वारा प्राईस फॉल क्लोज शर्तों की पालना नहीं की गई है तो बोलीदाता, विभाग से प्राप्त अधिक राशि सूचित करने के बाद तुरन्त जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा, राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(18) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराना तथा अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना:-

(अ) त्रय समिति द्वारा स्वीकृत की गई वस्तुओं की सूचना जारी करने पर बोलीदाता को पत्र जारी होने के 03 दिन के अन्दर आदेशित मूल्य के लिए नियमानुसार अपेक्षित राशि 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध कर निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि, आदेशित मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर निम्न में वर्णित किसी भी एक प्रारूप में उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर को जमा करानी होगी, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि किसी भी दशा में सम्पूर्ण बोली की जमा करायी गई प्रतिभूति राशि से कम नहीं होगी :-

1. डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/बैंक गारन्टी जो उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर के नाम हो।
2. एन.एस.सी.(फर्म के नाम से क्य की गई हो) जो, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर के नाम प्लेज्ड हो।


नोट:-

1. पूर्व वर्षों की जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि /बोली प्रतिभूति राशि अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस हेतु नहीं किया जावेगा।
2. वर्तमान बोली की बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में बोलीदाता के पक्ष में अनुमोदित समस्त आईटमों का अनुबंध उनके द्वारा कर दिये जाने पर तथा बोली की सभी आईटमों का निर्णय हो जाने पर किया जा सकेगा।
3. जो फर्म निदेशक उद्योग विभाग राजस्थान द्वारा बोली में दर्शाई गई जिन किसी वस्तुओं के लिये लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत है, उन्हें उन वस्तुओं के लिये उस समय प्रभावी दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
4. राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को सुरक्षा राशि जमा कराने से छूट प्राप्त है।

(ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण:- कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा:-

- (i) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ii) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(स) बोलीदाता, करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-



- (i) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 (ii) जब बोलीदाता सम्पूर्ण-सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 (iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपद्धत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(स) बोलीदाता, करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
 (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजिकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं वर्ष सहित पंजीयन की अभिप्रमाणित प्रति।
 (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
 (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
(19) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा न कराने, अनुबन्ध पत्र भरकर न देने एवं अनुबन्ध की पालना नहीं करने पर बोली प्रतिभूति राशि व कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करना एवं आगामी बोलियों से विवर्जित करना :-

यदि कोई सफल बोलीदाता शर्त संख्या 18 में दर्शाई गई अवधि 03 दिवस में अथवा वृद्धि की गई अवधि में निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है, एवं समस्त अनुमोदित वस्तु की आपूर्ति हेतु अनुबन्ध पत्र भरकर नहीं देता है, तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस हेतु किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना बोली दाता को नहीं दी जावेगी। अनुबन्ध की पालना नहीं करने अर्थात् माल की आपूर्ति/कार्य नहीं करने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने के साथ-साथ राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 के तहत तीन वर्ष तक के लिए बोली लगाने से विवर्जन किया जा सकेगा।

(20) बोली प्रतिभूति राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बोलीदाता को लौटाना:-

1. जिस बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी गई है अथवा जिसके पक्ष में किसी भी आईटम की दर स्वीकृत नहीं की गई है तो ऐसे बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि बोली खोलने की तिथि के 3 माह पश्चात या बोली पर निर्णय जो भी देरी से हो, लौटाई जा सकेगी। (यदि संबंधित बोलीदाता के विरुद्ध कोई राशि बकाया न हो)
2. सफल बोलीदाता के विरुद्ध किसी प्रकार की राशि बकाया नहीं हो, तो उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को आदेशित आपूर्ति का सफलतापूर्वक पूरा करने की दिनांक से 3 माह बाद लौटाई जा सकेगी। बोलीदाता के विरुद्ध कोई राशि बकाया निकली तो बोलीदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से ऐसी वसूली करते हुये शेष रही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी। किन्तु अनुबन्ध अवधि समाप्ति से पूर्व नहीं लौटाई जावेगी।
3. समस्त स्वीकृत आईटमों का बोलीदाता द्वारा (बोली शर्त सं0 20 के अनुसार) निर्धारित अवधि में अनुबन्ध पत्र भरने एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने पर ऐसे बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी। (यदि बोलीदाता के विरुद्ध कोई बकाया राशि नहीं निकलती है तो)
4. बोली के समय जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा। **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि किसी भी दशा में मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि से कम नहीं होगी। चाहे बोलीदाता की कुल आपूर्ति हेतु संविदा की अनुमानित राशि कितनी भी कम हो।**

(21) अस्वीकृत वस्तुएँ/अपील/स्टोरेज चार्जज:-

1. आपूर्तिकर्ता द्वारा सप्लाई की गई वस्तुएँ अस्वीकृत होने पर, अस्वीकृती की सूचना जारी होने की दिनांक से 07 दिन के अन्दर अस्वीकृत वस्तु को आपूर्तिकर्ता को स्वयं अपने खर्च से उठा लेना होगा तथा स्पेसिफिकेशनके अनुसार वह सामग्री निर्धारित अवधि में आपूर्ति करनी होगी।
2. निर्धारित अवधि 07 दिवस के बाद भी अस्वीकृत माल को न उठाने पर उन वस्तुओं के मूल्य का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह स्टोरेज चार्जज आपूर्तिकर्ता से वसूल किया जावेगा। जो अस्वीकृत वस्तुओं के मूल्य से अधिक नहीं होगा। वस्तु के खराब होने, टूटने फूटने आदि की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
3. आपूर्तिकर्ता द्वारा अस्वीकृत माल की सूचना जारी होने की दिनांक से 6 माह की अवधि में माल नहीं उठाने पर संबंधित उपनिदेशक द्वारा अस्वीकृत माल की नीलामी/नष्ट (जैसी परिस्थितियों हो) कर दिया जावेगा एवं उससे प्राप्त हुई राशि राज्य कोष में जमा करा दी जावेगी।

4. आपूर्तिकर्ता स्थानीय क्रय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील, अस्वीकृति की सूचना जारी होने की दिनांक से 07 दिन की अवधि में क्रय समिति के समक्ष कर सकेगा। क्रय समिति में अपील करने हेतु बोलीदाता द्वारा विवादित सामग्री मूल्य की 1 प्रतिशत राशि फीस के रूप में जमा करवानी होगी। उक्त फीस किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जावेगी। 07 दिवस के पश्चात अपील का अधिकार नहीं होगा। स्थानीय क्रय समिति द्वारा पुनर्निरीक्षण की अपील को स्वीकार किये जाने एवं माल को पुनः अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में स्टोरेज चार्ज की अवधि की गणना उपरोक्त बिन्दु 23(2) के अनुसार प्रथम 07 दिवस के पश्चात से ही की जावेगी।
5. अपील पर क्रय समिति का निर्णय बोलीदाता को मान्य होगा।

(22) प्रस्तुत दरों की तुलना राज्य सरकार के नियमों की तहत की जायेंगी।

(23) बोली केवल पानी की टंकी 1000 लीटर के विनिर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं/थोक व्यापारियों अथवा पानी की टंकी 1000 लीटर से संबंध बड़े व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत की जायेंगी। विनिर्माता होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसके लिए एस.आर.11 में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(24) बोलीदाता को निविदा की समस्त शर्तों, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक व ड्राईंग आदि को ज्ञान पूर्वक पढ़ लेनी चाहिए। यदि स्पेसिफिकेशन, मेक आदि के बारे में शंका हो तो उसका निवारण उपापन संस्था से पूर्व में ही कर लेना चाहिए।

(25) तकनीकी बिड के साथ पानी की टंकी 1000 लीटर के केटलॉग, मयफोटो एवं मॉडल नं. लिटरेचर व तकनीकी डाटा संलग्न करना आवश्यक है। आवश्यकता होने पर कमेटी नमूनों की मांग कर सकती है। ऐसी स्थिति में नमूने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर में प्रस्तुत करने होंगे। नमूने प्रस्तुत नहीं करने पर वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी।

(26) सामान के साथ प्राप्त पैकिंग सामग्री को नहीं लौटाना:-

बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये गये माल के साथ जो भी पैकिंग सामग्री जैसे खोखे, बोरियाँ, डिब्बे पत्तियाँ आदि होगा वह निःशुल्क होगा तथा बोलीदाता को लौटाया नहीं जावेगा। बोलीदाता सप्लाई करने वाले माल को ठीक ढंग से पैकिंग के लिए उत्तरदायी होंगे। रास्ते में किसी प्रकार की क्षति व हानि के लिए विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।

(27) राज्याधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना:-

बोली स्वीकृति हेतु अथवा बोली संबंधी किसी कार्य हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार विभाग के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना या उनके पास सिफारिश पहुँचाना, गम्भीर अपराध समझा जावेगा तथा ऐसे बोलीदाता की बोली स्वीकार्य नहीं की जावेगी। और यदि स्वीकार हो जाती है, तो किसी भी समय रद्द की जा सकती है।

(28) सुरक्षित अधिकार:-

स्थानीय क्रय समिति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये किसी भी वस्तु की दरें सबसे कम दर स्वीकार न करके ऊँची दरें, स्वीकृत कर ले, अथवा कोई भी दर स्वीकार न करें।

(29) कानूनी विवाद क्षेत्र:-

बोलीदाता द्वारा उपापनकर्ता अधिकृति के निर्णय से असहमत होने पर RTPP Act की धारा 38 से 40 तथा RTPP नियम 83 से 85 में प्रदत्त प्रावधान अनुसार प्रथम स्तर व द्वितीय स्तर पर अपील के निर्णय के पश्चात विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या संवेदक) द्वारा अजमेर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

(30) वास्तविक व्यापारी द्वारा बोली भरी जाना/बिल प्रस्तुतीकरण:-

बोली स्वीकार होने के पश्चात् जिस भी अधिकृति से बोली प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है उसी अधिकृति से बिल आदि भुगतान हेतु विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकृति के द्वारा

प्रस्तुत बिलों को भुगतान हेतु स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं इस सम्बन्ध में विभाग किसी प्रकार के दायित्वाधीन नहीं होगा।

आपूर्त सामग्री का कार्यालय द्वारा निर्देशानुसार पृथक-पृथक बजट मदवार बिल प्रस्तुत करना होगा।

- (31) (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित में अविलम्ब बोलीदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले के सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
- (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को संवेदक द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं केता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए संवेदक की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
- (32) **संबंधित कार्य हेतु संबंधित विभाग में पंजीयन एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र :-** कोई भी विनिर्माता जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत संबंधित विभाग में उस व्यवसाय के लिए पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। उस व्यवसाय के लिए पंजीकृत होने का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होगी। साथ ही जी.एस.टी. एवं आयकर (पैन) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जमा करानी होगी।
- (33) (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जायेगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी।
- (ii) आर.आर.(R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
- (iii) भुगतान करने पर किए गये प्रेषण प्रभार (Remittance charges) बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
- (34) **बीमा:-**
- (i) सामान गन्तव्य छात्रावास पर सही दशा में सुपुर्द किए जायेंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे -युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (35) **वसूलियां:-** परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से की जायेगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्विडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- (36) **अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकार:-**
1. बोली के नियम व शर्तों तथा बोली प्रपत्रों में दिये गये विवरण आदि के संबंध में स्थानीय क्रय समिति द्वारा दिया गया अर्थ एवं निर्णय अन्तिम समझा जावेगा एवं उसे बोलीदाता मानने को बाध्य होगा।
 2. क्रय समिति को किसी भी बोलीदाता की बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण व निर्बाध अधिकार होगा।
- (37) **निजी शर्तें लगाकर बोली प्रस्तुत करना:-**
बोली शर्तों के विपरीत बोलीदाता की कोई निजी शर्त मान्य नहीं होगी।
- (38) **निरीक्षण अधिकारी:-** बोलीदाता को निर्माणशाला/गोदाम/दुकान का पूर्ण पता व अधिकारी का सम्पर्क नम्बर देना होगा। बोलीदाता की फर्म या कम्पनी की निर्माणशाला/दुकान/गोदाम का निरीक्षण करने का अधिकार निदेशक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा।

(39) **बोली शर्तों में शिथिलता करने का अधिकार:-**

प्रस्तुत बिलों को भुगतान हेतु स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं इस सम्बन्ध में विभाग किसी प्रकार के दायित्वाधीन नहीं होगा।

आपूर्त सामग्री का कार्यालय द्वारा निर्देशानुसार पृथक-पृथक बजट मदवार बिल प्रस्तुत करना होगा।

- (31) (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अविलम्ब बोलीदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले के सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को संवेदक द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए संवेदक की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
- (32) **संबंधित कार्य हेतु संबंधित विभाग में पंजीयन एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र :-** कोई भी विनिर्माता जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत संबंधित विभाग में उस व्यवसाय के लिए पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। उस व्यवसाय के लिए पंजीकृत होने का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होगी। साथ ही जी.एस.टी. एवं आयकर (पैन) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जमा करानी होगी।
- (33) (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जायेगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी।
(ii) आर.आर.(R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
(iii) भुगतान करने पर किए गये प्रेषण प्रभार (Remittance charges) बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
- (34) **बीमा:-**
(i) सामान गन्तव्य छात्रावास पर सही दशा में सुपुर्द किए जायेंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे - युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (35) **वसूलियां:-** परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाइ, टूटफूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से की जायेगी। कम सप्लाइ, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्विडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- (36) **अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकार:-**
1. बोली के नियम व शर्तों तथा बोली प्रपत्रों में दिये गये विवरण आदि के संबंध में स्थानीय क्रय समिति द्वारा दिया गया अर्थ एवं निर्णय अन्तिम समझा जावेगा एवं उसे बोलीदाता मानने को बाध्य होगा।
2. क्रय समिति को किसी भी बोलीदाता की बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण व निर्बाध अधिकार होगा।
- (37) **निजी शर्तें लगाकर बोली प्रस्तुत करना:-**
बोली शर्तों के विपरीत बोलीदाता की कोई निजी शर्त मान्य नहीं होगी।
- (38) **निरीक्षण अधिकारी:-** बोलीदाता को निर्माणशाला/गोदाम/दुकान का पूर्ण पता व अधिकारी का सम्पर्क नम्बर देना होगा। बोलीदाता की फर्म या कम्पनी की निर्माणशाला/दुकान/गोदाम का निरीक्षण करने का अधिकार निदेशक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा।

(39) **बोली शर्तों में शिथिलता करने का अधिकार:-**

प्रस्तुत बिलों को भुगतान हेतु स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं इस सम्बन्ध में विभाग किसी प्रकार के दायित्वाधीन नहीं होगा।

आपूर्त सामग्री का कार्यालय द्वारा निर्देशानुसार पृथक-पृथक बजट मदवार बिल प्रस्तुत करना होगा।

- (31) (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अविलम्ब बोलीदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले के सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को संवेदक द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए संवेदक की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
- (32) **संबंधित कार्य हेतु संबंधित विभाग में पंजीयन एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र :-** कोई भी विनिर्माता जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत संबंधित विभाग में उस व्यवसाय के लिए पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। उस व्यवसाय के लिए पंजीकृत होने का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होगी। साथ ही जी.एस.टी. एवं आयकर (पैन) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जमा करानी होगी।
- (33) (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जायेगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी।
(ii) आर.आर.(R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
(iii) भुगतान करने पर किए गये प्रेषण प्रभार (Remittance charges) बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
- (34). **बीमा:-**
(i) सामान गन्तव्य छात्रावास पर सही दशा में सुपुर्द किए जायेंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे -युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (35) **वसूलियां:-** परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाय, टूटफूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से की जायेगी। कम सप्लाय, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्विडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- (36) **अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकार:-**
1. बोली के नियम व शर्तों तथा बोली प्रपत्रों में दिये गये विवरण आदि के संबंध में स्थानीय क्रय समिति द्वारा दिया गया अर्थ एवं निर्णय अन्तिम समझा जावेगा एवं उसे बोलीदाता मानने को बाध्य होगा।
2. क्रय समिति को किसी भी बोलीदाता की बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण व निर्बाध अधिकार होगा।
- (37) **निजी शर्तें लगाकर बोली प्रस्तुत करना:-**
बोली शर्तों के विपरीत बोलीदाता की कोई निजी शर्त मान्य नहीं होगी।
- (38) **निरीक्षण अधिकारी:-** बोलीदाता को निर्माणशाला/गोदाम/दुकान का पूर्ण पता व अधिकारी का सम्पर्क नम्बर देना होगा। बोलीदाता की फर्म या कम्पनी की निर्माणशाला/दुकान/गोदाम का निरीक्षण करने का अधिकार निदेशक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा।
- (39) **बोली शर्तों में शिथिलता करने का अधिकार:-**

AB

लिए वित्त विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 अनुसार एम.एस.एम.ई. यूनिट को अधिसूचना में अंकित निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कय अधिमान /मूल्य अधिमान का लाभ देय होगा।

- (41) तकनीकी बिड बोली का भाग होगा। तकनीकी बिड में वांछित दस्तावेज उसी क्रम में संलग्न करें, जिस क्रम में बिड में अंकित है। संलग्नक पर वही क्रम संख्या भी अंकित करें।
- (42) बोलीदाता का गत दो वर्षों (2020-21, 2021-22) में संबंधित समकक्ष व्यवसाय का औसत वार्षिक टर्नओवर 9.00 लाख होने का सी.ए. का प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होगी। वर्ष 2021-22 की अनुपलब्धता की स्थिति में वर्ष 2019-20 का टर्न ओवर का प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होगी।
- (43) बोली से सम्बन्धित नियम, शर्तें एवं सूचना बोली का भाग है।
- (44) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013) के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.13 के अनुसार Annexures A, B, C, D भी बोली एवं अनुबंध का भाग है।
- (45) उपरोक्त शर्तों में किसी भी प्रकार के विरोधाभाष की स्थिति में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं समय-समय पर जारी संशोधनों लागू होंगे।
- (46) उक्त बोली शर्तों में किसी भी प्रकार लिपीकीय त्रुटि होने पर स्थानीय कय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
- (47) स्थानीय कय समिति L-1 के अतिरिक्त बोलीदाता की दरें स्वीकृत करने के लिए भी अधिकृत होंगी।
- (48) **अपील:-** प्रथम अपील अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर एवं द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर होंगे।



उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों/नियमों को ध्यान पूर्वक पढ लिया है, समझ लिया है जो हमें स्वीकार हैं तथा इनकी पालना करने को सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय सील एवं दिनांक

एस.आर.प्रारूप 11
बोलीदाताओं द्वारा घोषणा
(देखिए नियम 48-VII)

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिस सामग्री के लिए बोली दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सैलिंग/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

❖ (जो लागू ना हो, उसे काट दिया जायें।)

बोलीदाता के हस्ताक्षर



नोटरी द्वारा सत्यापित

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि, मैंने/हमने पानी की टंकी 1000 लीटर क्रय हेतु तकनीकी बोली बाबत क्रम संख्या 1 से 14 तक में जो घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र/ अन्य सूचना संलग्न किए गये हैं, वे सत्य एवं पूर्णतया सही है। हमारी फर्म को कभी भी राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग/उपक्रम द्वारा दण्ड स्वरूप ब्लेकलिस्ट/डीबार नहीं किया गया है। हमारी फर्म न्यूनतम विगत दो वर्षों से भी अधिक समय से दी गई बोली से संबंधित मद में व्यापार करती है। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो कोई न्यायिक कार्यवाही किये बिना एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई, उस रद्द कर दी जावे एवं हमारे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, अजमेर स्वतंत्र है।

❖ (जो लागू ना हो, उसे काट दिया जाये)

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

नोटरी द्वारा प्रमाणित

Annexure 'A'

Compliance With the Code of integrity and No Conflict of interest


Any Person Participating in a procurement process shall -

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one of more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. Have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. Receive of have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.



Annexure 'B'
Declaration by the Bidder regarding Qualification
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to-----
----- for procurement of ----- in response
to their Notice Inviting Bids No.----- Dated----- I/We hereby declare
under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:

1. I/We possess the necessary Professional, technical, financial and managerial resource and competence required by the bidding Document issue by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the Taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Documents;
3. I/We are not Insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the forgoing reason;
4. I/We do not have, and our directors and officer nor have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentation as to my/our qualification to enter into a procurement of within a period of three Years preceding the commencement of this procurement process. Or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :
Place :

Signature of bidder
Name :
Designation :
Address :



Annexure 'C'

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is C.E.O. Jila parishad Ajmer.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Director, social justice and empowerment department Rajasthan Jaipur

Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provide that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids Before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (1) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (2) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First appellate authority, as the case may be.
- (3) **Appeal not to lie in certain cases**
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-
 - (a) Determination of need of procurement;
 - (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
 - (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
 - (d) Cancellation of a procurement process;
 - (e) Applicability of the provisions of confidentiality.
- (4) **Form of Appeal**
 - (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
 - (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal proof of payment of fee.
 - (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority. As the case may be, in person or through registered post or authorized representative.
- (5) **Fee for filing appeal**
 - (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
 - (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (6) **Procedure for disposal of appeal**
 - (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
 - (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
 - i. Hear all the parties to appeal present before him; and
 - ii. Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
 - (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
 - (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State public Procurement Portal.

Signature of Bidder with Seal

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public
Procurement Act, 2012**

Appeal No of
Before the (First/Second Appellate Authority)

i. A Bidd

1. Particulars of appellant:-

(i) Name of the appellant :-

(ii) Official address, if any:-

(iii) Residential address :-

2. Name and address of the respondent (s) :-

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :-

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :-

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :-

6. Grounds of appeal :.....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer :

Place

Date

Appellant's Signature



Annexure 'D'
Additional Condition of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following Basis;

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals the subtotal shall prevail and the total shall be corrected ;
- iii. if there is a discrepancy between words and figure, the amount in words shall prevail unless the amount expressed in the words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of awards of contract , the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decreased shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the Conditions of contract.
- (ii) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement of procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim compensation expect otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the suppliers fails to do so, the procuring Entity shall be free arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of Procurement of Goods)

As a general rules all the quantities of the subject matter of Procurement shall procured from the Bidder , whose Bid is accepted. However, when it is Considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in the order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder with Seal

B

Form B
Format of Affidavit
(See clause 11)

IS/oAged Yrs.
residing at Proprietor/Partner/
Director of M/s do hereby solemnly
affirm and declare that :

(a) My/Our above noted enterprise M/s has been
issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum
Part - II by the District Industries Center
The acknowledgement No. is dated
and has been issued for manufacture of following items:

Name of Item	Production Capacity (Yearly)
--------------	------------------------------

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(b) My/Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial
Memorandum Part - II has not been cancelled or withdrawn by
the Industries Department and that the enterprise is regularly
manufacturing the above items.

(c) My/Our enterprise is having all the requisite plant and
machinery and is fully equipped to manufacture the above
noted items.

Place _____

Signature of
Proprietor/ Director Authorized Signatory
with RubberStamp and date

Note : If the cost of items to be procured/hired exceeds
Rs. 100000/- (Rupees One lakh), the Procuring Entity would be

required to have the production unit inspected to satisfy itself of the production capacity and that the quality control measures are installed.

F.1(8)/FD/GF&AR/2011
By Order of the Governor,
Siddharth Mahajan,
Special Secretary to Govt.
Finance (Budget)



Government Central Press, Jaipur.

परिशिष्ट-1

उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग - अजमेर

अधीनस्थ छात्रावासों हेतु पानी की टंकी 1000 लीटर कय बाबत स्पेसिफिकेशन

क्र.स.	सामग्री का नाम	कुल मात्रा	स्पेसिफिकेशन
01	पानी की टंकी 1000 लीटर	43	<ul style="list-style-type: none">उच्च गुणवत्ता एवं तकनिक से निर्मित प्रतिष्ठित ब्राण्ड की टंकिया 3 लेयर/4 लेयर मय ढक्कन, गोलाकार आकार

उक्त आईटमों की मात्रा बजट/अनुमोदित दर के अधीन कम/ज्यादा की जा सकेंगी।

नोट:-इसके संलग्न राजकीय छात्रावासों की सूचि अनुसार संबंधित छात्रावासों में आदेशित मात्रा अनुसार आपूर्त करनी होगी।



उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर

कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर
वित्तीय बोली परिशिष्ट

1. फर्म का नाम
2. फर्म का पता
3. फर्म का ई-मेल आई.डी.....
4. निविदा दाता का मो0न0
5. निविदा सूचना क्रय दिनांक
6. वित्तीय निविदा:-संलग्न परिशिष्ट अनुसार अपनी निविदा दरे निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं

शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस बिड के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित पानी की टंकी 1000 लीटर की निविदा दर प्रस्तुत करने से पूर्व इस हेतु लागु समस्त शर्तों तथा सम्पूर्ण निविदा का भली-भांति अध्ययन कर लिया है, समझ लिया है तथा उनसे सहमत है तथा स्वीकार स्वरूप समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तदुपरांत अपनी निविदा दरें परिशिष्ट में अंकित उपकरणों के समक्ष अंकित कर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

क्र.स	नाम पानी की टंकी 1000 लीटर	प्रस्तुत दर का ब्राण्ड नेम	प्रस्तुत दर का मॉडल नम्बर(यदि विशिष्ट है)	निविदा दाता प्रस्तुत दर	जी0एस0टी0 की दर	जी0एस0टी0 की राशि	कुल दर राशि
01	पानी की टंकी 1000 लीटर प्रतिष्ठित ब्रेंड व मेक की थ्री लेयर कोटिंग						
02	पानी की टंकी 1000 लीटर प्रतिष्ठित ब्रेंड व मेक की फॉर लेयर कोटिंग						

हस्ताक्षर मय मोहर
निविदा दाता

